भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2349
गुरुवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

झारसुगुड़ा विमानपत्तन का विस्तार

2349. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का हवाई यात्रा की बढ़ती मांग तथा क्षेत्र में व्यवसायिक केंद्र के रूप में झारसुगुड़ा विमानपत्तन के सामरिक महत्व के दृष्टिगत इसके विस्तार का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का संपर्क तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने के लिए झारसुगुड़ा विमानपत्तन से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद तथा विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख महानगरों के लिए दैनिक उड़ानें शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार व्यापार तथा वाणिज्य के लिए इसके महत्व के कारण उक्त विमानपत्तन से दिल्ली तथा भुवनेश्वर के लिए दो दैनिक उड़ानें निर्धारित किए जाने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने हवाई यातायात की भावी मांगों को पूरा करने के लिए उक्त विमानपत्तन की अवसंरचना के विकास तथा परिचालन विस्तार के लिए कोई समय-सीमा नियत की है तथा निधि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ) : झारसुगुड़ा हवाईअड्डा एक प्रचालनरत हवाईअड्डा है, जिसका स्वामित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पास है, और यह हवाईअड्डा कोड 4सी प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त है। हवाईअड्डों पर अवसंरचना का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा समय-समय पर यात्री मांग के पूर्वानुमान, विमान परिचालन की सुरक्षा के लिए परिचालन आवश्यकताओं और एयरलाइनों की मांग के आधार पर किया जाता है। विकास कार्य चरणबद्ध आधार पर किए जाएंगे, जो भूमि की उपलब्धता, वित्तीय व्यवहार्यता और इच्छित विमान परिचालन से संबंधित परिचालन आवश्यकताओं पर निर्भर होंगे।

वर्तमान में, झारसुगुड़ा हवाईअड्डा बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भुवनेश्वर, शमशाबाद, लखनऊ और रायपुर से जुड़ा हुआ है। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ, भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को पूर्ण रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। एयरलाइनें अपने बेड़े में किसी भी प्रकार के विमान को शामिल कर सकती हैं, किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन कर सकती हैं और सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों (आरडीजी) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित उड़ान अनुसूचियों के अनुपालन के अध्यधीन परिचालन कर सकती हैं। अतः किसी हवाईअड्डे के लिए या उस हवाईअड्डे से विमान सेवाएं आरंभ करना, एयरलाइन की प्रचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

******